



कार्यालय वनमंडलाधिकारी धार वनमंडल माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001

Phon 07292-222250 Email - dfordhar@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 654
प्रति,

धार, दिनांक 10/02/2022

श्री नजमुद्दीन आबिद हुसैन

पता-20-25

बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर

बोहरा बाखल धार

जिला धार

विषय :- जिला धार के अंतर्गत ग्राम देलमी सिंचाई कार्य हेतु पाईप लाईन बिछाये जाने की अनुमति देने बाबत। (ऑनलाईन क्र. MP/FP/Pipeline/ 151530/ 2022)
संदर्भ :- सचिव म.प्र. शासन वनविभाग का प.क्र-एफ-5-14/2005/10-3 दि. 30.07.2012।

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से वन मण्डल धार के वन परिक्षेत्र धार में वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रपोजल क्रमांक MP/FP/Pipeline/ 151530/ 2022 पाईप लाईन बिछाने की अनुमति हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक-एफ-5-14/2005 /10-3 दिनांक 30.07.2012 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि हेतु निम्नानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क संलग्न प्रपत्र अनुसार "0406 वानिकी और वन्य जीव (1) वानिकी, (800) अन्य प्राप्ति, (0229) विविध प्राप्ति" में ऑनलाईन जमा किया जाना होगा एवं जमा करने की पुष्टि अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगी।

पंजीयन शुल्क राशि रु. 5000/-

प्रोसेसिंग शुल्क राशि रु. 25,000/-

फुल राशि रु. 30000/-

उपरोक्त जमा किया गया पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क वापसी योग्य नहीं होता है। नेट प्रेजेण्ट वेल्थ (एन.पी.वी.) की राशि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण व्यय राशि तथा व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन व्यय की राशि जमा करने हेतु भारत शासन से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर अवगत कराया जा सकेगा।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार राशि जमा कर इस कार्यालय को पुष्टि अभिलेख प्रेषित करे ताकि प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वनमंडल अधिकारी
(क्षे.) वनमंडल धार

142